न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 – 35/2016

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
मंदिर श्री ठाकुर जी जाननारायणजी वाके ग्राम चाउ तहसील व जिला नागौर जरिये उपासकगण एवं नाबालिग मंदिर श्री ठाकुरजी जाननारायणजी के वाद मित्र 1.मघाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी चाउ तहसील व जिला नागौर। 2.पूर्णाराम पुत्र रेडाराम जाति जाट निवासी पेरावा चाउ तहसील व जिला नागौर के स्थान पर तहसीलदार नागौर प्रस्थापित।		1रामनिवास पुत्र चतरदास जाति साद 2तनसुख पुत्र रामनिवास जाति साद 3दीनदयाल पुत्र रामनिवास जाति साद 4खींयाराम पुत्र रावताराम जाति साद 5गोपालराम पुत्र मगनाराम जाति साद निवासीगण ग्रमा चाउ 6ग्राम पंचायत चाउ जरिये–सरपंच ग्राम पंचायत चाउ 7राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर। 8सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबन्धक, जोधियासी। 9यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबन्धक, नागौर।

उपस्थिति–

1– श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

2– श्री लालाराम ज्याणी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 4 व 5 की ओर से।

3– श्री पवन श्रीमाली अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 8 व 9 की ओर से।

आदेश

दिनांक 28.12.20

(1) प्रार्थीगण मंदिर श्री ठाकुरजी जाननारायणजी वाके ग्राम चाउ तहसील व जिला नागौर जरिये उपासकगण एवं नाबालिग मंदिर श्री ठाकुरजी जाननारायणजी के वाद मित्र मघाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी चाउ तहसील व जिला नागौर तथा पूर्णाराम पुत्र रेडाराम जाति जाट निवासी पेरावा चाउ तहसील व जिला नागौर द्वारा रेफरेन्स अधीन धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर ग्राम चाउ के खसरा नं. 424 रकबा 66 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 706/424 रकबा 8 बीघा, खसरा नं. 843/424 रकबा 30 बीघा, खसरा नं. 928/706 रकबा 0.05 बीघा व खसरा नं. 708/424 रकबा 33 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 707/424 रकबा 33 बीघा 10 बिस्वा भूमि को डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुरजी जाननारायणजी की खातेदारी मे पुनः दर्ज करवाये जाने को लेकर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं 4 व 5 की ओर से श्री लालाराम ज्याणी अधिवक्ता तथा 8 व 9 की ओर से श्री पवन श्रीमाली अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण के लंबित रहते हुए प्रार्थीगण व अप्रार्थी खींयाराम ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण मे राजीनामा हो जाने से जरिये राजीनामा निस्तारण चाहा गया। जिस पर आराजी भूमि को लेकर डोली बनाम मंदिर का हित होना प्रतीत होने से प्रार्थीगण के स्थान पर तहसीलदार नागौर को प्रार्थी पक्षकार दिनांक 27.09.2016 को लिया गया। जिनकी ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा पैरवी की गई है। प्रार्थी द्वारा ग्राम चाउ की जमाबंदी (खतौनी) की नकल संवत 2066 से 2069 की प्रति, ग्राम चाउ के नक्शा लट्ढा ट्रेस किश्तवार की प्रति, मिलान क्षेत्रफल की प्रति, ग्राम चाउ की खतौनी संवत 2006 की प्रति, ग्राम

अपर कलक्टर,नागौर

चाउ की खतौनी जमाबंदी संवत 2020–39 की प्रति, ग्राम चाउ की जमाबंदी (खतौनी) संवत 2042–45 तथा 2054–57 की प्रति, ग्राम चाउ की खेवट खतौनी संवत 2013–20, 2022–25, 2030–37 की प्रति, मिलान क्षेत्रफल ग्राम चाउ की प्रति, ग्राम चाउ की खेवट खतोनी संवत 2013–16 की प्रति तथा ग्राम चाउ की खसरा गिरदावरी 2014–20 की प्रति प्रस्तुत की गई है। वकील अप्रार्थी सं. 4 व 5 की ओर से अपना जवाब 10.5.17 को पेश किया गया।

2 उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि ग्राम चाउ के साबिका खसरा नं. 252 रकबा 147.11 बीघा के हाल खसरा नं. 424 रकबा 147.11 बीघा बने है। खतौनी संवत 2006 के अनुसार आराजी भूमि डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुरजी जाननारायण जी वाके देह बएतमाम पुजारी रामनिवास पुत्र चतुरदास (खोले) जेसुदान वल्द किशनदास साद सा.देह (पुजारा) अंकित है तथा कॉलम सं. 5 मे मकबुजाखुद अंकित है। खतौनी संवत 2013 से 2020 मे आराजी श्री ठाकुरजी श्री जाननारायणजी की दर्ज थी तथा अप्रार्थी सं. 1 व जेसुदान का नाम पुजारी की हैसियत से दर्ज हुआ है। अप्रार्थी सं. 2 तनसुख का नाम वर्तमान खसरा नं. 843/424 रकबा 30 बीघा नामान्तरकरण सं. 801 जरिये बख्शीश, अप्रार्थी सं. 3 दीनदयाल के खसरा नं. 845/424 रकबा 22 बीघा, खसरा नं. 706/424 रकबा 8 बीघा नामान्तरकरण सं. 804 जरिये बख्शीश, अप्रार्थी सं. 6 ग्राम पंचायत व खसरा नं. 928/706 रकबा 0.05 बीघा नामान्तरकरण सं. 1030 जरिये दान से जमाबंदी संवत 2066 से 2069 के अनुसार रेकर्ड मे अंकन आया है। इसी प्रकार जमबंदी संवत 2030 से 2033 मे खसरा नं. 424 मिन रकबा 67 बीघा नारायणदास पुत्र हनुमानदास के नाम दर्ज हुआ। जो जमाबंदी संवत 2042 से 2045 मे अप्रार्थी सं. 4 व 5 के नाम दर्ज हुई जो वर्तमान मे खसरा नं. 708/424 रकबा 33.10 बीघा अप्रार्थी सं. 4 खींयाराम व खसरा नं. 707/424 रकबा 33.10 बीघा अप्रार्थी सं. 5 गोपालराम के नाम बेचान के द्वारा खातेदारी मे आयी है। जिससे स्वतः ही स्पष्ट है कि आराजी भूमि डोली बनाम मंदिर की भूमि है। मूर्ति शाश्वत अव्यस्क है, जिसके खातेदारी अधिकार किसी अन्य को प्रदान नहीं किये जा सकते। जमाबंदी संवत् 2034 से 2037 तक व अब तक दिये गये खातेदारी अधिकार अप्रार्थी सं. 1 से 9 कानूनन अवैध है तथा मंदिरों के जायज अधिकार पर बेअसर है। ऐसी भूमि पुनः उसी रुप में राजकीय भूमि घोषित करने के लिए प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाया जाना चाहिये।

3 वकील अप्रार्थी सं. 4 व 5 की ओर से बताया गया कि –

3(1) प्रार्थी मघाराम पुत्र हीराराम व उसके भाई पुरखाराम वगैराह एवं अप्रार्थीगण खीयाराम, गोपालराम वगैराह के मध्य रास्ते को लेकर विवाद था, जो दीवानी वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर मे अनवान पुरखाराम वगैरा बनाम गोपालराम वगैरा मुकदमा सं. 60/14 से विचाराधीन रहता चला आया था। उस रास्ते के विवाद को लेकर रंजिशवश मघाराम वगैरा ने यह रेफरेन्स आवेदन प्रस्तुत किया है, प्रार्थी मघाराम वाहन संचालन का कारोबार करता है तथा प्रार्थी पूर्णाराम मघाराम का धंधे मे सह भागीदार है। जिन्हाने अपने स्तर पर षडयंत्र कर बदयान्तिपूर्वक महज अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने व दबाव बनाने की नियत से यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

अपर कलक्टर, नागौर

3(2) अप्रार्थी सं. 1 रामनिवास की खातेदारी 255.06 बीघा भूमि रहती चली आयी है, जिसके संबंध मे किये गये बेचानो के संबंध मे चले आ रहे खातेदारान के संबंध मे कोई कार्यवाही नही की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की ओर से यह आवेदन दुर्भावना पूर्ण प्रस्तुत किया गया है।

3(3) विवादित खेताय पर अप्रार्थीगण का गत 36–37 वर्षो से निरंतर निर्बाध रूप से कब्जा व काश्त रहता चला आया है। विवादित खेत पर अप्रार्थी सं. 5 गोपालराम की बारहोमासी रहवासी ढाणी रहती चली आयी है, इससे यह स्पष्ट है कि आम जनता चाउ को वक्त बेचानो के संबंध मे जानकारी रहती चली आयी थी व है, वैसी स्थिति मे आवेदन रेफरेन्स बिना अधिकार के मियाद बाहर पेश किया गया है। जो निरस्तनीय है।

3(4) ग्राम पंचायत चाउ मे पंचायत मुख्यालय है। गांव मे जाट, राजपूत, मेघवाल, नायक, सिद्व, धोबी, सुथार, सरगरा, हरिजन इत्यादि जातियो के लोग निवास करते आ रहे है, गांव की करीब 5000 आबादी है। इस प्रकार से एक विशाल गांव से जहां कई जातियो के लोग रहते हो, उस गांव के मात्र एक व्यक्ति द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत करना स्पष्ट रूप से चली आ रही रास्ते की रंजिश को दर्शाता है।

4 उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। खतौनी संवत 2006 के अनुसार आराजी भूमि डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुरजी जाननारायण जी वाके देह बएतमाम पुजारी रामनिवास पुत्र चतुरदास (खोले) जेसुदान वल्द किशनदास साद सा.देह (पुजारा) अंकित है तथा कॉलम सं. 5 मे मकबुजाखुद अंकित है। उक्त आराजी भूमि ग्राम चाउ के गत खसरा नं. 252 से हाल खसरा नं. 424 रकबा 147.11 बीघा बनना मिलान क्षेत्रफल से साबित है। आराजी भूमि जमाबंदी संवत 2013 से 2020 तक डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुरजी जाननारायणजी के नाम अंकित है। संवत 2020 नकल खतौनी भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त भूमि रामनिवास व जेसूदास के नाम दर्ज की गई। जो जमाबंदी संवत 2022 से 2025, 2030 से 2033 मे दर्ज है। तत्पश्चात जमाबंदी संवत 2034 से 2037 मे आराजी भूमि रामनिवास पुत्र चतुरदास एवं नारायण पुत्र हनुमानदास के नाम नामान्तरकरण सं. 183 व 184 से अंकन आया है। जमाबंदी संवत 2042 से 2045 मे अप्रार्थी सं. 4 व 5 के नाम दर्ज हुई जो वर्तमान मे खसरा नं. 708/424 रकबा 33.10 बीघा अप्रार्थी सं. 4 खींयाराम व खसरा नं. 707/424 रकबा 33.10 बीघा अप्रार्थी सं. 5 गोपालराम के नाम बेचान के द्वारा खातेदारी मे अंकित हुई है। अप्रार्थी सं. 2 तनसुख का नाम वर्तमान खसरा नं. 843/424 रकबा 30 बीघा नामान्तरकरण सं. 801 जरिये बख्शीश, अप्रार्थी सं. 3 दीनदयाल के खसरा नं. 845/424 रकबा 22 बीघा, खसरा नं. 706/424 रकबा 8 बीघा नामान्तरकरण सं. 804 जरिये बख्शीश, अप्रार्थी सं. 6 ग्राम पंचायत व खसरा नं. 928/706 रकबा 0.05 बीघा नामान्तरकरण सं. 1030 जरिये दान से जमाबंदी संवत 2066 से 2069 के अनुसार रेकर्ड मे अंकन आया है। ऐसी स्थिति मे आराजी भूमि डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुरजी जाननारायण जी वाके देह बएतमाम पुजारी रामनिवास पुत्र चतुरदास (खोले) जेसुदान वल्द किशनदास साद सा.देह (पुजारा) अंकित है तथा कॉलम सं. 5 मे मकबुजाखुद संवत 2006 से दर्ज होना रेकर्ड से

अपर कलक्टर, नागौर

साबित है। जिसे बिना किसी सक्षम आदेश के भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्तानुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज कर दिया। जो उक्त जमाबंदियों से सुस्पष्ट है। डोली बनाम मंदिर की जमीन में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः डोली बनाम मंदिर की भूमि में खातेदारी अधिकार दिये गये है। जो विधिक दृष्टि से शून्य व प्रभावहीन है।

5 उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मौजा चाउ के वर्तमान खसरा नं. 843/424 रकबा 30 बीघा, खसरा नं. 845/424 रकबा 22 बीघा, खसरा नं. 706/424 रकबा 8 बीघा, खसरा नं. 928/706 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नं. 708/424 रकबा 33.10 बीघा तथा खसरा नं. 707/424 रकबा 33.10 बीघा, खसरा न. 424 रकब 14.13 बीघा का अप्रार्थी सं. 1 से 9 के नाम खातेदारी/नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर उक्त भूमि के संबंध में जमाबंदी (खतौनी) संवत 2020 से आदिनांक तक हुए इन्द्राजात को निरस्त करते हुए मौजा चाउ के वर्तमान खसरा नं. 843/424 रकबा 30 बीघा, खसरा नं. 845/424 रकबा 22 बीघा, खसरा नं. 706/424 रकबा 8 बीघा, खसरा नं. 928/706 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नं. 708/424 रकबा 33.10 बीघा तथा खसरा नं. 707/424 रकबा 33.10 बीघा, खसरा न. 424 रकब 14.13 बीघा अप्रार्थी सं. 1 से 9 के नाम दर्ज भूमि पूर्ववत डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुरजी जाननारायणजी के नाम दर्ज करवाने हेतु मूल प्रकरण माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने हेतु माननीय आयुक्त भू प्रबन्ध विभाग, जयपुर को प्रेषित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

6 आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर